न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 189/2022

जहाज पुत्र कबीरा जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला डीग प्रतिवादी

2. मिजाज
3. मजीदा
4. नजरा पिसरान कबीरा
5. सैकुल
6. बिल्ला
7. सबरूना पिसरान कमाल
8. अकबरी पत्नि कमाल
9. नूरजहां पत्नि आमीना
10. तसलीमा पुत्री आमीना
11. साकिर
12. रासिद पिसरान आमीना जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :– 06/05/2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि साविक खसरा नम्बर 523 का हाल खसरा नम्बर 692/0.54 हैक्टर बांके ग्राम मूगस्का तहसील पहाडी में स्थित है। जमाबन्दी में दर्ज सहकाश्तकार कमाल,आमीना पिसरान कबीरा फौत हो चुके है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 12 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। दावा दायरी के वक्त प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 12 न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके इसलिए उन्हे तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के हित व अधिकार समान है। आराजी पूर्व में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता व दादा कबीरा पुत्र कमाल की गैर मौरोसी की आराजी थी जिस पर लगातार रूप से कबीरा अपने जीवन काल तक काश्त की और फौत हो जाने के बाद आराजी विरासतन दाखिल खारिज संख्या 623 से उसके वारिसान वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी बुजुर्गान की गैर मौरोसी का रकबा था। आज भी मौके पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम खातेदार नही होकर गैर खातेदार दर्ज कर रखा है। जबकि कानूनन वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था। आराजी संलग्न रिकॉर्ड से साबित है। कि पुश्तैनी आराजी है। वादी को दावा

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 15/04/2023 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2017 लगायत 2019 में आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान कबीरा पुत्र कमाल गैर मौरूसी पट्टेदार के रूप में दर्ज है। जिस पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान ने कब्जे काश्त की और उसके बाद वारिसान वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा लगातार कब्जा चला आ रहा है। आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही बुजुर्गान वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण की गैर मौरूसी पट्टेदार की आराजी थी और अब वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम पट्टेदार के रूप में दर्ज है। मुताबिक कानून वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदारी दिया जाना आवश्यक है। आराजी पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। धारा 16 के तहत नहीं आती है अतः वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को हिस्सानुसार खातेदारी दिया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी वादी के बुर्जुगान की आराजी है।

.....वादी

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया आराजी को वादी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार करा पाने के अधिकारी है।

.....वादी

<u>3:– दादरसी :–</u>

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 जहाज, पी0डब्लू0 2 मिजाज, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2014 लगायत 2017, 2017 लगायत 2020, 2020 लगायत 2023, 2026 लगायत 2029, 2028 लगायत 2031, 2029 लगायत 2032, 2041 लगायत 2044, 2045 लगायत 2048, 2049 लगायत 2052, 2053 लगायत 2056, 2057 लगायत 2060, 2061 लगायत 2064, 2065 लगायत 2068 व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 तथा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 लगायत 2013 , 2015 लगायत 2018, 2017 लगायत 2020, 2029 लगायत 2032, 2025 लगायत 2028, 2041 लगायत 2044, 2053 लगायत 2056, 2057 लगायत 2060, 2061 लगायत 2064· व मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादी के बुर्जुगान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। विवादित आराजी बांके ग्राम मूंगस्का तहसील पहाडी में स्थित है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड अनुसार आराजी पूर्व में वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की कब्जे काश्त की आराजी रही है। उसके उपरान्त वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर पट्टेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पहाडी के जबाब के मुताबिक आराजी वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान की पट्टेदारी की आराजी थी। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है और आज भी विवादित आराजी पर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का ही मुताबिक हिस्सा कब्जा है। दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2007 (1) पेज संख्या 599 पेश की है। इसमें राजस्थान काश्तकार अधिनियम 2015 धारा 15 ए 230 खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना । यदि किसी मामले में व्यक्ति का नाम अधिनियम के लागू होने के समय जमाबन्दी के खातेदार उपखातेदार या मौरोसी खातेदार के रूप दर्ज है तो वह धारा 15 ए (3) के अन्तर्गत स्वतः खातेदार अधिकार प्राप्त कर लेगा अतः वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी पर पट्टेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के कानूनन अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को हाल खसरा नम्बर 692/0.54 हैक्टर बांके ग्राम मूगस्का तहसील पहाडी पर पट्टेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे पट्टेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी डीग (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 189/2022

जहाज पुत्र कबीरा जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी — वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला डीग — प्रतिवादी

2. मिजाज
3. मजीदा
4. नजरा पिसरान कबीरा
5. सैकुल
6. बिल्ला
7. सबरूना पिसरान कमाल
8. अकबरी पत्नि कमाल
9. नूरजहां पत्नि आमीना
10. तसलीमा पुत्री आमीना
11. साकिर
12. रासिद पिसरान आमीना जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 .... व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण को हाल खसरा नम्बर 692/0.54 हैक्टर बांके ग्राम मूगस्का तहसील पहाडी पर पट्टेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे पट्टेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06/05 सन् 2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		